भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2085

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

अप्रचलित विधानों का निरस्तीकरण और विधि सुधार

2085. श्री बलभद्र माझी :

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी :

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा :

श्रीमती कमलजीत सहरावत :

श्री दुलू महतो :

श्री भर्तृहरि महताब :

श्री गणेश सिंह :

श्री दामोदर अग्रवाल :

डॉ. मन्ना लाल रावत :

श्री प्रदीप कुमार सिंह :

श्री अरुण गोविल :

सुश्री कंगना रनौत :

श्री अनूप संजय धोत्रे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार में वर्ष 2024 में निरस्तीकरण हेतु अप्रचलित और अनावश्यक केंद्रीय अधिनियमों की पहचान करने के लिए कोई नया प्रयास किया है और निरस्त किए जाने वाली ऐसी विधियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या 23वें विधि आयोग ने अप्रचलित केंद्रीय विधानों के संशोधन, सरलीकरण या निरस्तीकरण के संबंध में कोई अंतरिम सिफारिशें प्रस्तुत की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने विधानों में संशोधन, समेकन या निरस्तीकरण के माध्यम में नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन के बोझ को और कम करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं ;

(ड) यदि हाँ, तो कार्य योजना और समय-सीमा क्या है ;

(च) क्या केंद्रीय विधानों की प्रारुपण शैलो को सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए है ताकि वे आम जनता के लिए अधिक सुलभ और आसानी से समझ में आने योग्य बन सकें ;

और

(छ) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए आयोजित प्रशिक्षण या क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सरकार ने निरस्त करने के लिए इकहत्तर अप्रचलित और निरर्थक अधिनियमों की पहचान की है।

(ख) और (ग) : 23वें विधि आयोग से पुराने केंद्रीय कानूनों को संशोधित करने, सरल बनाने या निरस्त करने के संबंध में कोई अंतरिम सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) : विधि प्रणाली में सुधार लाने की सरकार की प्रतिबद्धता के तहत, अनुपालन के बोझ को कम करने, सुशासन सुनिश्चित करने और अप्रचलित एवं निरर्थक कानूनों में संशोधन, समेकन या निरसन के माध्यम से विधि प्रणाली को आम आदमी के लिए अधिक सुलभ बनाने हेतु पहल की गई है। अप्रचलित और निरर्थक कानूनों की पहचान और निरसन से संबंधित नवीनतम प्रक्रिया में, सरकार ने उपयुक्त विधान द्वारा इकहत्तर अप्रचलित एवं निरर्थक विधि को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

(च) : विधायी विभाग भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के आधार पर और भारत सरकार में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसदीय प्रक्रिया नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार विधि का प्रारूप तैयार करने के लिए वचनबंध है। विधायी विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करता रहा है कि विधायी प्रारूप सरल, स्पष्ट, सटीक और स्पष्ट हो।

(छ) : विधायी विभाग केंद्रीय विधान तैयार करने की शैली को सरल बनाने और जनता के लिए इसे सुलभ बनाने हेतु निरंतर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए पहल करने के लिए वचनबंध है, जो विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा किया जाता हैं, जिसमें नब्बे दिवसीय बुनियादी विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम, तीस दिवसीय बुनियादी विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम (हिंदी में), पंद्रह दिवसीय विधायी प्रारूपण का व्यावहारिक

पाठ्यक्रम और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अनुरोध पर तैयार किए गए संरचित विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, सरल भाषा में प्रारूपण पर चार मॉड्यूल पाठ्यक्रम भी iGOT पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग विधायी मसौदा तैयार करने में लगे सभी लोक सेवक कर सकते हैं।
